जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

परियोजना प्रस्तावक मैसर्स कार्तिका मार्बल के खनन की कलस्टर मय खनन परियोजना, प्लॉट नं. 29 (एम.एल. न. 39/2022), क्षेत्रफल – 1.3442 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता – 1,37,088 टन प्रतिवर्ष (रोम) एवं कलस्टर का कुल क्षेत्रफल 5.48147 हैक्टेयर, कलस्टर की उत्पादन क्षमता 6,29,462 टन प्रतिवर्ष (रोम), ग्राम – सूरजगढ़, तहसील – रियांबडी, जिला – नागौर (राजस्थान) में पर्यावरणीय स्वीकृती हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मेडता, जिला नागौर (राजस्थान) की अध्यक्षता में दिनांक 10.08.2023 को राजकीय उच्च प्राथमिक विघालय, सूरजगढ़, तहसील – रियाबंडी, जिला – नागौर (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही (Minutes) का विवरणः–

जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांकः– न्याय/प्रदूषण/ ज.सु. 2023/4790 दिनांकः 10/8/2023 के अनुसार श्री गौरी शंकर शर्मा उपखण्ड अधिकारी, रियांबडी, जिला नागौर की अनुपस्थिति के कारण श्री पूरण कुमार शानी, उपखण्ड अधिकारी, मेडता, जिला नागौर की अध्यक्षता में जनसुनवाई का संचालन किया गया।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक/न्याय/प्रदूषण/ज.सु.2023/3551 दिनांक 28.06.2023 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर के पत्र क्रमाक RPCB/RO NGR/PUB-177/739 दिनांक 3.07.2023 के अनुपालना में मैसर्स कार्तिका मार्बल ने प्रस्तावित खनन परियोजना (ग्रेनाईट) प्लॉट नं. 29 (एम.एल. न. 39/2022), क्षेत्रफल – 1.3442 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता – 1,37,088 टन प्रतिवर्ष (रोम) एवं कलस्टर का कुल क्षेत्रफल 5.48147 हैक्टेयर, कलस्टर की उत्पादन क्षमता 6,29,462 टन प्रतिवर्ष (रोम), ग्राम – सूरजगढ़, तहसील – रियांबडी, जिला – नागौर (राजस्थान) के खनन से सम्बन्धित जनसुनवाई दिनांक 10.08.2023 को आयोजित की गई। जन सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर परिपिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है। जनसुनवाई की आम सूचना दो स्थानीय समाचार पत्र द इण्डियन एक्सप्रैस समाचार पत्र में दिनांक 7 जुलाई, 2023 (षुक्रवार) एवं दैनिक नवज्योति समाचार पत्र दिनांक 8 जुलाई, 2023 (षनिवार) को प्रकाषित की गई थी जिसकी प्रति परिपिष्ट संख्या 02 पर सलंग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता

Scanned with OKEN Scanner

जन सुनवाई के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात श्री पूरण कुमार शानी, उपखण्ड अधिकारी, मेडता, जिला नागौर की अनुमति से जनसुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, नागौर ने जनसुनवाई के प्रावधान, उदेद्श्य एवं महत्व तथा परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियो को प्रस्तावित खनन् परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत् आमंत्रित किया।

परियोजना प्रंबधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार वाईब्रेंट टेक्नो लेब प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेष शर्मा के माध्यम से जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियो एवं ग्रामवासियो/व्यक्तियो को विस्तृत जानकारी दी। खनन परियोजना के सम्बन्ध में कलस्टर प्रमाण पत्र एवं नक्षा जानकारी, परियोजना की स्थिति, लोकेषन मेप, खनन पट्टे की गूगल इमेजनरी, परियोजना की प्रमुख विषेषताएं, परियोजना का विवरण, क्षेत्र की पर्यावरण स्थिति का विवरण, परिवहनभार, पर्यावरण संरक्षण उपाय, खनन की समय सीमा समाप्ति पर भूमि का उपयोग, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टिका का विकास, पर्यावरण प्रबंधन योजना (वायु, जल, ध्वनि, ठोस अपषिष्ट गुणवत्ता प्रबंधन), व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। उन्होने बताया की खनन योजना के दौरान ऑवर बर्डन के रूप निकलने वाले अपषिष्ट को अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार इकट्ठा किया जायेगा एवं वृक्षारोपरण द्वारा स्थिर किया जायेगा, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित खनन परियोजना से होने वाले प्रदूषण, उसके प्रंबधन तथा मण्डल मानको के अनुरूप रोकथाम करने के प्रस्तावित प्रयासो से अवगत कराया। साथ ही वृक्षारोपण, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.), व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, नागौर एवं श्री पूरण कुमार शानी, उपखण्ड अधिकारी, मेडता, जिला नागौर की ओर से जनसुनवाई में उपस्थित लोगो को अपने विचार/आपत्ति, सुझाव प्रकट करने के लिए आंमत्रित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता

Scanned with OKEN Scanner

इसी कम में उक्त खनन परियोजना से संबंधित उपस्थित जनसमुदाय में से कुछ विचार मौखिक रूप से व्यक्त किये गये जो निम्न प्रकार हैः—

श्री ब्रहम देव शर्मा, सरंपच प्रतिनिधि, आलनियावास ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया की लीज धारक हमेशा वृक्षारोपण करते है लेकिन पेड–पौधो के लिए पानी की व्यवस्था एवं उनको जानवरो से बचाने के लिए सुरक्षा के उपाय किये जाने चाहिए।

इस पर परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश शर्मा ने बताया की परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये जाने वाले पौधारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षो के स्वस्थ विकास के लिए उचित बाड और पेडों की रखवाली के साथ आवधिक सफाई, खाद और पानी का ध्यान रखा जायेगा एवं इस हेतु बजट का प्रावधान भी दिया गया है।

श्री टीकम चन्द ग्राम आलनियावास ने कहा की परियोजना में रोजगार हेतु स्थानीय निवासियो को प्राथमिकता दी जाए।

इस पर परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश शर्मा ने बताया की इस परियोजना में रोजगार हेतु स्थानीय लोगो को ही प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान किया गया है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा भी निश्चित किया गया की स्थानीय निवासियो को ही रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।

श्री अंकित जाखड, सूरजगढ़ द्वारा बोला गया की इन परियोजनाओ के चलने से फसल को कोई हानी तो नही होगी।

इस पर परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश शर्मा ने बताया की इस परियोजना हेतु जो पर्यावरणीय आधारभूत अध्ययन किया गया है जिसमें की वायु, जल, ध्वनि एवं मृदा के नमूने लिए गये थे जिनके परिणाम तय मानको के अनुरूप ही पाये गए है तथा परियोजना में धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण सरंक्षण के उपायो को विधिपूर्वक अपनाया जायेगा एवं खान से निकलने वाले खनिज के परिवहन के दौरान उपयोग होने वाले ट्रक/डम्पर इत्यादी को तिरपाल से ढक कर खनिज का परिवहन किया जाएगा व खान से निकलने वाले ओवरवर्डन को भी खान में ही निश्चित स्थान पर डाला जाएगा व समय–समय पर आस पास के क्षेत्रो में मृदा के नमूनो का परिक्षण भी किया जाएगा।

अधिकारी
गेड़ला

Dunita

Scanned with OKEN Scanner

विद्यालय के प्रधानाचार्य जी एवं ग्रामवासियों के द्वारा जन सुनवाई के दौरान अवगत करवाया गया कि विद्यालय का एक हॉल जर्जर अवस्था में है तथा श्री ब्रहम देव शर्मा, सरंपच प्रतिनिधि, आलनियावास ने श्री पूरण कुमार शानी, उपखण्ड अधिकारी, मेडता, जिला नागौर से आग्रह किया की गांव की स्कूलो के विकास हेतु खनन प्रतिनिधियो द्वारा सहयोग अपेक्षित है जिस पर जनसुनवाई में उपस्थित मैसर्स कार्तिका मार्बल के प्रतिनिधि श्री सोहन लाल शर्मा द्वारा मौके पर ही 51,000/- रूपये की सहयोग राशि स्कूल को भेट करने की घोषणा की गई साथ ही उन्होने यह आश्वस्त भी किया की भविष्य में भी वे इसी प्रकार से गांव के विकास के लिए सहयोग करते रहेगें। जिस पर राजकीय उच्च प्राथमिक विघालय, सूरजगढ़, तहसील – रियाबंडी, जिला – नागौर (राजस्थान) के प्रधानाचार्य द्वारा श्री सुनील कुमार जी का आभार व्यक्त किया गया व श्री पूरण कुमार शानी, उपखण्ड अधिकारी, मेडता, जिला नागौर ने भी इनका आभार व्यक्त किया व आगे भी इसी तरह गांव के विकास हेतु सहयोग की अपेक्षा की।

जनसुनवाई से पहले, दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात उक्त खनन परियोजना से संबंधित कोई भी सुझाव/अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त नही हुए है।

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, नागौर द्वारा जनसुनवाई के दौरान ग्रामवासियो/व्यक्तियो का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद के साथ श्रीमान श्री पूरण कुमार शानी, उपखण्ड अधिकारी, मेडता, जिला नागौर की अनुमति से पर्यावरणीय जनसुनवाई की समाप्ति की घोषणा के साथ जन-सुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

श्री पूरण कुमार शानी,
उपखण्ड अधिकारी,
मेडता, जिला नागौर

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता

श्रीमती सविता,
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल,
नागौर

Scanned with OKEN Scanner

जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

परियोजना प्रस्तावक मैसर्स कार्तिका मार्बल के खनन की कलस्टर मय खनन परियोजना, प्लॉट नं. 29 (एम.एल. न. 39/2022), क्षेत्रफल – 1.3442 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता – 1,37,088 टन प्रतिवर्ष (रोम) एवं कलस्टर का कुल क्षेत्रफल 5.48147 हैक्टेयर, कलस्टर की उत्पादन क्षमता 6,29,462 टन प्रतिवर्ष (रोम), ग्राम – सूरजगढ़, तहसील – रियांबडी, जिला – नागौर (राजस्थान) में पर्यावरणीय स्वीकृती हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मेडता, जिला नागौर (राजस्थान) की अध्यक्षता में दिनांक 10.08.2023 को राजकीय उच्च प्राथमिक विघालय, सूरजगढ़, तहसील – रियाबंडी, जिला – नागौर (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही (Minutes) का विवरणः–

जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांकः– न्याय/प्रदूषण/ ज.सु. 2023/4790 दिनांकः 10/8/2023 के अनुसार श्री गौरी शंकर शर्मा उपखण्ड अधिकारी, रियांबडी, जिला नागौर की अनुपस्थिति के कारण श्री पूरण कुमार शानी, उपखण्ड अधिकारी, मेडता, जिला नागौर की अध्यक्षता में जनसुनवाई का संचालन किया गया।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक/न्याय/प्रदूषण/ज.सु.2023/3551 दिनांक 28.06.2023 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर के पत्र क्रंमाक RPCB/RO NGR/PUB-177/739 दिनांक 3.07.2023 के अनुपालना में मैसर्स कार्तिका मार्बल ने प्रस्तावित खनन परियोजना (ग्रेनाईट) प्लॉट नं. 29 (एम.एल. न. 39/2022), क्षेत्रफल – 1.3442 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता – 1,37,088 टन प्रतिवर्ष (रोम) एवं कलस्टर का कुल क्षेत्रफल 5.48147 हैक्टेयर, कलस्टर की उत्पादन क्षमता 6,29,462 टन प्रतिवर्ष (रोम), ग्राम – सूरजगढ़, तहसील – रियांबडी, जिला – नागौर (राजस्थान) के खनन से सम्बन्धित जनसुनवाई दिनांक 10.08.2023 को आयोजित की गई। जन सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर परिषिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है। जनसुनवाई की आम सूचना दो स्थानीय समाचार पत्र द इण्डियन एक्सप्रैस समाचार पत्र में दिनांक 7 जुलाई, 2023 (षुक्रवार) एवं दैनिक नवज्योति समाचार पत्र दिनांक 8 जुलाई, 2023 (षनिवार) को प्रकापित की गई थी जिसकी प्रति प्ररिषिष्ट संख्या 02 पर सलंग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
मेडता

Scanned with OKEN Scanner

जन सुनवाई के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात श्री पूरण कुमार शानी, उपखण्ड अधिकारी, मेडता, जिला नागौर की अनुमति से जनसुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, नागौर ने जनसुनवाई के प्रावधान, उदेद्श्य एवं महत्व तथा परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियो को प्रस्तावित खनन् परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बावत् आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार वाईब्रेंट टेक्नो लेब प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेष शर्मा के माध्यम से जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियो एवं ग्रामवासियो/व्यक्तियो को विस्तृत जानकारी दी। खनन परियोजना के सम्बन्ध में कलस्टर प्रमाण पत्र एवं नक्षा जानकारी, परियोजना की स्थिति, लोकेषन मेप, खनन पट्टे की गूगल इमेजनरी, परियोजना की प्रमुख विषेषताएं, परियोजना का विवरण, क्षेत्र की पर्यावरण स्थिति का विवरण, परिवहनभार, पर्यावरण संरक्षण उपाय, खनन की समय सीमा समाप्ति पर भूमि का उपयोग, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टिका का विकास, पर्यावरण प्रबंधन योजना (वायु, जल, ध्वनि, ठोस अपषिष्ट गुणवत्ता प्रबंधन), व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। उन्होने बताया की खनन योजना के दौरान ऑवर बर्डन के रूप निकलने वाले अपषिष्ट को अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार इकट्ठा किया जायेगा एवं वृक्षारोपरण द्वारा स्थिर किया जायेगा, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित खनन परियोजना से होने वाले प्रदूषण, उसके प्रंबधन तथा मण्डल मानको के अनुरूप रोकथाम करने के प्रस्तावित प्रयासो से अवगत कराया। साथ ही वृक्षारोपण, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.), व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, नागौर एवं श्री पूरण कुमार शानी, उपखण्ड अधिकारी, मेडता, जिला नागौर की ओर से जनसुनवाई में उपस्थित लोगों को अपने विचार/आपत्ति, सुझाव प्रकट करने के लिए आंमत्रित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता

Scanned with OKEN Scanner

इसी क्रम में उक्त खनन परियोजना से संबंधित उपस्थित जनसमुदाय में से कुछ विचार मौखिक रूप से व्यक्त किये गये जो निम्न प्रकार है:–

श्री ब्रहम देव शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि, आलनियावास ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया की लीज धारक हमेशा वृक्षारोपण करते है लेकिन पेड–पौधो के लिए पानी की व्यवस्था एवं उनको जानवरो से बचाने के लिए सुरक्षा के उपाय किये जाने चाहिए।

इस पर परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश शर्मा ने बताया की परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये जाने वाले पौधारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षो के स्वस्थ विकास के लिए उचित बाड और पेडों की रखवाली के साथ आवधिक सफाई, खाद ओर पानी का ध्यान रखा जायेगा एवं इस हेतु बजट का प्रावधान भी दिया गया है।

श्री टीकम चन्द ग्राम आलनियावास ने कहा की परियोजना में रोजगार हेतु स्थानीय निवासियो को प्राथमिकता दी जाए।

इस पर परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश शर्मा ने बताया की इस परियोजना में रोजगार हेतु स्थानीय लोगो को ही प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान किया गया है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा भी निश्चित किया गया की स्थानीय निवासियो को ही रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।

श्री अंकित जाखड, सूरजगढ़ द्वारा बोला गया की इन परियोजनाओ के चलने से फसल को कोई हानी तो नही होगी।

इस पर परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश शर्मा ने बताया की इस परियोजना हेतु जो पर्यावरणीय आधारभूत अध्ययन किया गया है जिसमें की वायु, जल, ध्वनि एवं मृदा के नमूने लिए गये थे जिनके परिणाम तय मानको के अनुरूप ही पाये गए है तथा परियोजना में धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण सरंक्षण के उपायो को विधिपूर्वक अपनाया जायेगा एवं खान से निकलने वाले खनिज के परिवहन के दौरान उपयोग होने वाले ट्रक/डम्पर इत्यादी को तिरपाल से ढक कर खनिज का परिवहन किया जाएगा व खान से निकलने वाले ओवरबर्डन को भी खान में ही निश्चित स्थान पर डाला जाएगा व समय–समय पर आस पास के क्षेत्रो में मृदा के नमूनो का परिक्षण भी किया जाएगा।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता

Scanned with OKEN Scanner

विद्यालय के प्रधानाचार्य जी एवं ग्रामवासियों के द्वारा जन सुनवाई के दौरान अवगत करवाया गया कि विद्यालय का एक हॉल जर्जर अवस्था में है तथा श्री ब्रहम देव शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि, आलनियावास ने श्री पूरण कुमार शानी, उपखण्ड अधिकारी, मेडता, जिला नागौर से आग्रह किया की गांव की स्कूलो के विकास हेतु खनन प्रतिनिधियो द्वारा सहयोग अपेक्षित है जिस पर जनसुनवाई में उपस्थित मैसर्स कार्तिका मार्बल के प्रतिनिधि श्री सोहन लाल शर्मा द्वारा मौके पर ही 51,000/– रूपये की सहयोग राशि स्कूल को भेंट करने की घोषणा की गई साथ ही उन्होने यह आशवस्त भी किया की भविष्य में भी वे इसी प्रकार से गांव के विकास के लिए सहयोग करते रहेगें। जिस पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरजगढ़, तहसील – रियाबंडी, जिला – नागौर (राजस्थान) के प्रधानाचार्य द्वारा श्री सुनील कुमार जी का आभार व्यक्त किया गया व श्री पूरण कुमार शानी, उपखण्ड अधिकारी, मेडता, जिला नागौर ने भी इनका आभार व्यक्त किया व आगे भी इसी तरह गांव के विकास हेतु सहयोग की अपेक्षा की।

जनसुनवाई से पहले, दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात उक्त खनन परियोजना से संबंधित कोई भी सुझाव/अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त नही हुए है।

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, नागौर द्वारा जनसुनवाई के दौरान ग्रामवासियो/व्यक्तियो का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद के साथ श्रीमान श्री पूरण कुमार शानी, उपखण्ड अधिकारी, मेडता, जिला नागौर की अनुमति से पर्यावरणीय जनसुनवाई की समाप्ति की घोषणा के साथ जन–सुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

श्री पूरण कुमार शानी,
उपखण्ड अधिकारी,
मेडता, जिला नागौर

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता

श्रीमती सविता,
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल,
नागौर

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स कार्तिका मार्बल, गांव–सूरजगढ़, तहसील – रियाबाडी, जिला – नागौर के "ग्रेनाईट माइनिंग प्रोजेक्ट प्लॉट नं. 29, एम.एल. न. 39/2022, कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता 1,37,088 टन प्रतिवर्ष (रोम) (विक्रय योग्य खनिज 68,544 टन प्रतिवर्ष एवं वेस्ट 68,544 टन प्रतिवर्ष), क्षेत्रफल – 1.3442 हैक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :– राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय, सूरजगढ़, तहसील – रियाबंडी, जिला – नागौर

जिला :– नागौर।

दिनाक :– 10.08.2023

समय :– सायं 1:00 बजे से

क्र.स.	नाम व पता	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	PURAN KUMAR, SDO, merta	8209705581	[signature]
2.	Savita, Regional officer, RSPCB, Nagaur	9983411222	Savita
3.	Tejraj Gaur, AEO, RSPCB Nagaur	9549028647	[signature]
4.	Umesh Sharma (EIA coord.)	8005707098 Vibrant Technology Pvt. Ltd	[signature]
5.	Shiv Dayal Godara (EIA FAE)	Vibrant Technology Pvt. LTD	[signature]
6.	Hariram Choudhary	7891610364	[signature]
7.	SohanLALSHARMA	8104492538	[signature]
8.	अमर सिंह सुरजगढ		[thumb impression]
9.	Ananda Ram	9982323362	[signature]
10.	[illegible]	7877414037	[signature]
11.	Bhupesh Ajmer	9782281143	Bhupesh
12.	pusingh	9784864997	पुसिंह
13.	ललित भार्गव पीपाड़	7024672920	ललित
14.	[illegible] (हरि ग्रेनाइट)	[illegible]	[signature]
15.	राजेन्द्र मेघवाल	7863950216	[signature]

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स कार्तिका मार्वल, गांव–सूरजगढ, तहसील – रियाबाडी, जिला – नागौर के "ग्रेनाईट माइनिंग प्रोजेक्ट प्लॉट नं. 29, एम.एल. नं 39/2022, कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता 1,37,088 टन प्रतिवर्ष (रोम) (विक्रय योग्य खनिज 68,544 टन प्रतिवर्ष एवं वेस्ट 68,544 टन प्रतिवर्ष), क्षेत्रफल – 1.3442 हैक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :– राजकीय उच्च प्राथमिक विघालय, सूरजगढ, तहसील – रियाबडी, जिला – नागौर

जिला :– नागौर।

दिनांक :– 10.08.2023

समय :– सायं 1:00 बजे से

16.	सुरेन्द्र कुमार	9660941065	[signature]
17.	जगदीश सुरजगढ	9636204398	जगदीश
18.	श्याम लाल सुरजगढ	9461000953	श्याम
19.	कालुराम	9587631441	[signature]
20.	भेराराम	9772970062	[signature]
21.	राहुल	7850866202	Rahul
22.	अनिल बेनिवाल	8949423157	[signature]
23.	माणक राम	9351858437	Manak
24.	हरजीराम	9929191881	हरजीराम
25.	रामलाल	6367077584	रामलाल
26.	भिंयाराम	8949479406	भिंयाराम
27.	Shivday hodane (Vibrant Techo Lab Pvt. Ltd.)	7734995193	Shiv
28.	Suresh Nitwal (Vibrant Tekhno Lab Pvt.)	8696200822	[signature]
29.	शंकर जी सुरजगढ	9982908141	
30.	डुंगाराम मेघवाल सुरजगढ	7726097036	डुंगाराम
31.	अंकित जाजड़ा	9509775344	अंकित

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थिति पत्रक

मेसर्स कार्तिका मार्बल, गांव–सूरजगढ़, तहसील – रियाबाडी, जिला – नागौर के "ग्रेनाईट माइनिंग प्रोजेक्ट प्लॉट नं. 29, एम.एल. नं. 39/2022, कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता 1,37,088 टन प्रतिवर्ष (रोम) (विक्रय योग्य खनिज 68,544 टन प्रतिवर्ष एवं वेस्ट 68,544 टन प्रतिवर्ष), क्षेत्रफल – 1.3442 हैक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरजगढ़, तहसील – रियाबडी, जिला – नागौर
जिला :– नागौर।
दिनांक :– 10.08.2023
समय :– सायं 1:00 बजे से

32.	महबूब		
33.	रोकम चन्द	9829907740	[signature]
34.	[signature]	7014682007	[signature]
35.	[signature]	9772811077	[signature]
36.	महेन्द्र कुमार	9772413254	महेन्द्र
37.	अनिल कुमार	9829246114	अनिल कुमार
38.	मोती लाल	9828079676	मोती लाल
39.	चेनाराम	9783015330	चेनाराम
40.	प्रहलाद शर्मा (सरपन्च प्रतिनिधि आलनियावास)	8209534731	[signature]
41.	उमराव जाट	9950378215	[signature]
42.	रफीक मोहम्मद	8118864408	[signature]
43.	रामेश्वर	9057299972	रामेश्वर
44.	Sampat Singh	9829154101	[signature]
45.	Hemant chaudhary	9829042431	Hemant
46.	ओमप्रकाश कुल्हरू	9414116936	[signature]
47.	Bharat Kailva	7426028296	[signature]

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स कार्तिका मार्बल, गांव–सूरजगढ़, तहसील – रियाबड़ी, जिला – नागौर के "ग्रेनाईट माइनिंग प्रोजेक्ट प्लॉट नं. 29, एम.एल. न. 39 / 2022, कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता 1,37,088 टन प्रतिवर्ष (रोम) (विक्रय योग्य खनिज 68,544 टन प्रतिवर्ष एवं वेस्ट 68,544 टन प्रतिवर्ष), क्षेत्रफल – 1.3442 हैक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :– राजकीय उच्च प्राथमिक विघालय, सूरजगढ़, तहसील – रियाबड़ी, जिला – नागौर

जिला :– नागौर।

दिनांक :– 10.08.2023

समय :– सायं 1:00 बजे से

48.	दिनेश कुमार	9983562346	[signature]
49.	दिनेश मेहरा	7340201724	[signature]
50.	हीरराम	7297083259	हीरराम
51.	कालूराम	9549042487	कालूराम
52.	शिवलरिम	2529355200	शिवलरिम
53.	धर्मराम	9929148309	[signature]
54.	चेतराम	9588278861	[signature]
55.	बाबूराम	6378221203	[signature]
56.	ईश्वरदान सिंह	9956604127	[signature]
57.	ओमप्रकाश बेनिवाल	9057287829	ओमप्रकाश
58.			
59.			
60.			

Scanned with OKEN Scanner

योति

लायंस क्लब की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आज

नागौर। लायंस क्लब की नवीन कार्यकारिणी वर्ष 2023-24 का शपथ ग्रहण शनिवार की शाम 7.30 बजे एक निजी होटल में आयोजित होगा। लायंस क्लब के अध्यक्ष सुरेश पारीक ने बताया कि नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण मुख्य अतिथि दिलीप तोषनीवाल की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा। मुख्य वक्ता श्यामसुंदर मंत्री व पूर्व प्रांतपाल जेठमल गहलोतए क्षेत्रीय अध्यक्ष राकेश गहलोत, नगर परिषद सभापति पायल गहलोत, डीवाईएसपी रविंद्र बोथरा उपस्थित रहेंगे।

में उलझे पक्ष-प्रतिपक्ष के पार्षद

र चले लात-घूंसे

तिपक्ष पार्षद। -आरिफ अंसारी

वेल में कुर्सी फेंकी-लात मारते ही शुरू हुआ ड्रामा

काम नहीं होने से नाराज भाजपा पार्षद विजयराज सांखला ने तेस में आकर अपनी कुर्सी वेल में फेंक दी। विरोध स्वरूप सत्ता पक्ष के पार्षद अमजद खान केके ने डेस्क पर ही चढ़कर सांखला के लात मारी तो लात-घूंसे शुरू हो गए। पार्षद अमजद पर कार्यवाही की मांग सहित विभिन्न मुद्दों लेकर प्रतिपक्ष पार्षद वेल में आकर धरने पर बैठ गए। अक्सर कम बोलने वाले भाजपा पार्षद राजेन्द्र सांखला राजसा ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए नाराजगी जताई। वहीं पक्ष एवं प्रतिपक्ष के पार्षद आपस में उलझ गए पूरे सदन में सौर शराबा हो गया। इसी बीच हंगामा बढ़ता देख चेयरमैन टाक ने बैठक स्थगित करने की घोषणा कर दी। बैठक में पार्षद मच्छराज सिखवाल, महेन्द्र भाकर, राजेन्द्र सांखला राजसा, नूर मोहम्मद, जाकिर खान सांखला, कैलाशचंद अग्रवाल कंदोई, रामचन्द्र नायक, महेन्द्रसिंह चौहान, विजेश जांगिड़, मोहित माली, मनोनीत पार्षद नरेश गोल्या, गोपाल हटीला, जुबेर उस्मानी, ममता भाटी, पार्षद शोभा लाहोटी, नाज परवीन देशवाली, रामकन्या बजाज, स्वेता सोनी, शबाना शेरानी, सल्मा जोया, लीलादेवी बोराणा, सुमिता सिखवाल, मधु सबलानिया, भंवरीदेवी खदाव, हीना बानो गौरी, शौकत बानो शामिल हुए।

बहस शुरू कर दी। इसी दौरान पक्ष एवं प्रतिपक्ष पार्षदों में आपस में बहस शुरू होने के साथ ही हंगाम शुरू हो गया। इस बीच ईओ रामरतन चौधरी, पूर्व चेयरमैन रूस्तम प्रिंस, उपाध्यक्ष सलीम मोयल, पार्षद महेन्द्रसिंह चौहान बबलूसा सहित कुछ पार्षदों ने समझाइश का प्रयास किया लेकिन हंगामा लगातार बढ़ता ही गया। इस दौरान कई पक्ष-प्रतिपक्ष के पार्षद उलझते नजर आए। उधर, जानकारी मिलने पर थानाधिकारी नरेन्द्रसिंह राठौड़, उप निरीक्षक भंवरलाल मय जाब्ते के पालिका पहुंचे।

ह।

क पालिकाकर्मी : पेज 8 पर देखें

ट रक्तदान

व्यास सारी, दि ने शंसा कहा नता। भूआएं नमंद डॉ. ग्राम, टल रिप

भानु आदि ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। शिविर संयोजक बिल्लू अंसारी ने बताया कि शिविर में विद्यापति ब्लड बैंक टीम ने सेवाएं दी, जिसमे 15 से अधिक युवाओं ने पहली बार रक्तदान किया। शिविर में अशफाक कोहिनूर, एम्बुलेंस यूनियन के भूरजी सोलंकी, कुदरत अली, समीर राव, नूर, गणपतलाल जोशी नागौर, वार्ड अध्यक्ष मुत्तछिब वारसी, इमरान तंवर, फिरोज मोयल, रुस्तम मिस्त्री, सराज रियां बड़ी इकबाल तंवर आदि मौजूद थे।

कार की टक्कर से बाइक सवार तीन लोग घायल, कुचामर रेफर

मकराना। खेत जा रहे बाइक सवार को एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार तीन लोग घायल हो गया। बुड्सु निवासी चेनाराम पुत्र मदनलाल रेगर ने बताया कि 6 जुलाई सुबह 9 बजे परिवादी सहित बुड्सु निवासी महावीर पुत्र छिगनराम रेगर व सोहनी पत्नी ओमप्रकाश रेगर तीनों पर गांव से खेत में जा रहे थे। इस दौरान पीछे से आ रही स्विफ्ट कार बाइक को टक्कर मार दी। जिससे परिवादी के सिर, हाथ व पैर पर चोटे आई। महावीर का पैर फेक्चर

ताला तोड़कर नकदी और जेवरात चोरी

मकराना। घर का ताला तोड़कर 30 हजार रुपए नकदी सहित सोने-चांदी के जेवर चुराने का मामला सामने आया है। मकराना थाने से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी विशाल पुत्र श्रवण कुमार गींवारिया निवासी भाटीपूरा ने पुलिस को बताया कि 6 जुलाई को करीब 11.30 बजे बाजार में ठेला लगाने चला गया था। उसके परिवार के लोग भी घर पर ताला लगाकर पड़ोस में रहने वाले उसके काका के घर चले गए थे। इस दौरान पीछे से चोर उसके ताला तोड़कर घर में घुस गए और घर का सारा समाना बिखेर दिया। चोर उसके घर से तीन 1/2 तोला सोने के टोपिस, बोर, मंगलसूत्र, 30 हजार रुपए नगद, 2 चांदी के पायजेब सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आम सूचना

हर आम व खास को सूचित किया जाता हैं कि श्री मोहम्मद शहजाद पुत्र श्री मोहम्मद अली की एक जायदाद कसाईबाड़ा मोहल्ला, खारी मस्जिद के पास (बनाए 87.88 वर्ग गज) वाके तहसील व जिला नागौर में आयी हुई हैं, जिसके उत्तर में फकीर मोहम्मद ड्राइवर का मकान, दक्षिण में खारी मस्जिद का रास्ता, पूर्व में अब्दुल रसीद पुत्र अब्दुल रजाक का मकान, पश्चिम में रास्ता है। उक्त भूखण्ड का पट्टा बिलेवा हिजरी 1207 चड़वा मुहम्मद कादर बक्स, नबी बक्स व इमाम बक्स पुत्रान् इब्राहिम के नाम से जारी किया गया था। तत्पश्चात् मोहम्मद अयूब ने उक्त पट्टा धारकों चड़वा मुहम्मद वगैरह का खुद को वारिस बताते हुए एक वसीयतनामा दिनांक 19.12.1979 को श्रीमती खैरूनिशा पुत्री स्व. श्री अब्दुल करीम के हक में निष्पादित किया। तत्पश्चात् श्रीमती खैरूनिशा ने एक बेचाननामा दिनांक 03.01.05 श्री मो. असद सत्तार पुत्र श्री हाजी अब्दुल सत्तार के हक में निष्पादित किया जो बेचाननामा उप पंजीयक कार्यालय नागौर के यहां दिनांक 06.01.2005 को पंजीबद्ध शुदा है। तत्पश्चात् श्री मो. असद सत्तार ने एक बेचाननामा श्री यादे अली पुत्र श्री हाजी मूसा के हक में दिनांक 18.05.2022 को निष्पादित किया। जो बेचाननामा उप पंजीयक कार्यालय नागौर के यहां उसी दिन पंजीबद्ध शुदा है। तत्पश्चात श्री यादे अली ने एक बख्शीशनामा श्री मोहम्मद शहजाद पुत्र श्री यादे अली के हक में दिनांक 30.05.2023 को निष्पादित किया। जो बख्शीशनामा उप पंजीयक कार्यालय नागौर के यहां उसी दिन पंजीबद्ध शुदा है। इस प्रकार श्री यादे अली के द्वारा निष्पादित बख्शीशनामे के बाद उक्त जायदाद पर श्री मोहम्मद शहजाद पुत्र श्री यादे अली बहैसियत मालिक के काबिज हो गया। श्री मोहम्मद शहजाद पुत्र श्री यादे अली ने मेरी मुवक्किला कम्पनी Piramal कैपिटल एंड हाऊसिंग फाइनेन्स लिमिटेड जोधपुर से उक्त जायदाद के मुताबिक अपने पास उपलब्ध समस्त असल व फोटो प्रति दस्तावेजात को बंधक रख कर ऋण सुविधा प्राप्त करनी चाही हैं। ऐसे में पट्टाधारक चड़वा मुहम्मद वगैराह के वारिसान् को या मोहम्मद अयूब के वसीयतनामे को लेकर मोहम्मद अयूब के किसी वारिसान को उक्त जायदाद के सम्बन्ध में कोई उज्र ऐतराज हो या इस जायदाद के सम्बन्ध में निष्पादित किये गये अन्य दस्तावेजात् के मुताबिक किसी को कोई उज्र ऐतराज हो या किसी भी व्यक्ति बैंक या संस्था का कोई हित हो या उक्त जायदाद के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद शहजाद के मालिकाना हक को लेकर किसी का कोई उज्र एतराज हो या उक्त जायदाद के सम्बन्ध में कोई मुकदमा किसी न्यायालय में लम्बित हो तो मेरी मुवक्किला कम्पनी के यहां इस सूचना प्रकाशन के सात (7) दिवस में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अपना एतराज प्रस्तुत करें। बाद गुजरने अवधि, एतराज मान्य नहीं होगा एवं हितबद्ध व्यक्ति की बंधक हेतु स्वीकृति मानी जायेगी। सो सूचित रहे

दिनांक:- 30.06.2023

दिनेशचन्द बिस्सा, एडवोकेट
वास्ते Piramal कैपिटल एंड हाऊसिंग फाईनेन्स
लिमिटेड, द्वितीय मंजिल, एल.के. टॉवर,
चौपासनी रोड, जोधपुर
मोबाईल नम्बर- 79763-46684

DNA 290232

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर-341001 (राज.)
इ-मेल- rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक: राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-175/750 दिनांक: 03/07/23

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ''ग्रेनाईट माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम.एल. नं. 36/2022, 19/2021, 04/2022 & 18/2021), कुल क्लस्टर क्षेत्र 5.28776 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 6,15,350 TPA(ROM)'' आवेदक श्री श्रवण सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह (M.L. NO. 36/2022), क्षेत्र- 1.15049 हेक्टेयर, खसरा न- 549, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 1,22,976 TPA(ROM) गांव-सूरजगढ़, तहसील-रियांबड़ी, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्री श्रवण सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस ओ 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. जिला कलक्टर, नागौर, 2. CEO जिला परिषद, नागौर 3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।, 6. उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी। 7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 9. ग्राम पंचायत, सूरजगढ़। 10. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरजगढ़, गाँव-सूरजगढ़, तहसील- रियांबड़ी, जिला-नागौर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज सु 2023/3544 दिनांक 28.06.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 10.08.2023 (गुरुवार) को सांय 03:00 बजे, स्थान-राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरजगढ़, गाँव-सूरजगढ़, तहसील- रियांबड़ी, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानो/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय (सविता), क्षेत्रीय अधिकारी

DNA 290146

...ा व हाथ व शरीर पर चोट
वहीं सोहनी का पैर फेक्चर हो
तथा पैर व हाथ की अंगुलियां
ई। तीनों को बुडसु अस्पताल
या गया। जहां से कुचामन
कर दिया गया। परिवादी को
दे दी गई जबकि सोहनी व
ोर का इलाज जारी है।

द मनोनीत

ाई शपथ

में शहर में हुए विकास कार्यो
मुक्त कंठ से प्रशंसा की।
नोनीत पार्षद रफीक खान ने कहा
हरवासियों के स्नेह एवं विश्वास
कारण ही यह जिम्मेदारी मिल
है। प्रेस क्लब अध्यक्ष हेमराज
क ने सकारात्मक रवैये के साथ
नी जिम्मेदारी निभाने की बात
। इस अवसर पर नगर कांग्रेस
टी के अध्यक्ष सुतेन्द्र सारस्वत,
नीत पार्षद भंवरअली खान,
ठ कांग्रेसी नेता आरिफ खान,
यास गुरु, सेवानिवृत प्रधानाचार्य
नवाज खान, दुर्गाराम चौधरी, मुकेश
सहित जनप्रतिनिधि, सुप्रतिष्ठित
एवं मीडियाकर्मी मौजूद थे।

डीएम चौधरी। -हेमराज पारीक

ी की रखी नींव

व. कैप्टन बद्रीराम मिर्धा की पत्नी
ओर से उनकी याद में शुक्रवार
को श्मशान भूमि की
चारदीवारी की नींव
रखकर पौधरोपण
किया गया। उनके पुत्र
रामजस मिर्धा ने बताया
कि दाह संस्कार के
समय शामिल लोगों
को भीषण गर्मी में हुई
समस्या व छांव के
अभाव को देखते हुए
क चारदीवारी करवाई जाएगी। इस
परिजनों ने बताया कि सामाजिक
णी व ओढावनी नहीं ली गई। साथ
ाज में एक नया संदेश दिया है।

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर-341001 (राज.)
इ-मेल- rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक: राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-176/756 दिनांक: 03/07/23

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ''ग्रेनाईट माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम.एल. नं. 34/2022, 19/2021, 04/2022 & 18/2021), कुल क्लस्टर क्षेत्र 5.13983 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 5,89,478 TPA(ROM)'' आवेदक श्री कार्तिका मार्बल (M.L. NO. 34/2022), क्षेत्र- 1.00256 हेक्टेयर, खसरा न- 549, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 97,104 TPA(ROM) गांव-सूरजगढ़, तहसील-रियांबड़ी, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चुंकि श्री कार्तिका मार्बल, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस ओ 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. जिला कलक्टर, नागौर, 2. CEO जिला परिषद, नागौर 3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।, 6. उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी। 7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 9. ग्राम पंचायत, सूरजगढ़। 10. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरजगढ़, गाँव-सूरजगढ़, तहसील- रियांबड़ी, जिला-नागौर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु2023/3558 दिनांक 28.06.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 10.08.2023 (गुरूवार) को सांय 02:00 बजे, स्थान-राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरजगढ़, गाँव-सूरजगढ़, तहसील- रियांबड़ी, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानो/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय (सविता), क्षैत्रीय अधिकारी

DNA 290146

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर-341001 (राज.)
इ-मेल- rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक: राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-177/744 दिनांक: 03/07/23

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ''ग्रेनाईट माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम.एल. नं. 39/2022, 19/2021, 04/2022 & 18/2021), कुल क्लस्टर क्षेत्र 5.48147 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 6,29,462 TPA(ROM)'' आवेदक श्री कार्तिका मार्बल (M.L. NO. 39/2022), क्षेत्र- 1.3442 हेक्टेयर, खसरा न- 549, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 1,37,088 TPA(ROM) गांव-सूरजगढ़, तहसील-रियांबड़ी, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चुंकि श्री कार्तिका मार्बल, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस ओ 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. जिला कलक्टर, नागौर, 2. CEO जिला परिषद, नागौर 3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।, 6. उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी। 7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 9. ग्राम पंचायत, सूरजगढ़। 10. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरजगढ़, गाँव-सूरजगढ़, तहसील- रियांबड़ी, जिला-नागौर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु2023/3551 दिनांक 28.06.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 10.08.2023 (गुरूवार) को सांय 01:00 बजे, स्थान-राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरजगढ़, गाँव-सूरजगढ़, तहसील- रियांबड़ी, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानो/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय (सविता), क्षैत्रीय अधिकारी

DNA 290142